mail/fax

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश
17, अरेरा हिल्स, भोपाल

दूरभाष– 2550488, 2550446, 2553305, 2551282, फैक्स– 0755– 2555162
E-Mail : ceomp@mp.nic.in, Website:ceomadhyapradesh.nic.in

फा. क्र. 01/2013/3/2123 भोपाल, दिनांक 27.03.2012

प्रति,

कलेक्टर
एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
(समस्त) मध्यप्रदेश

विषयः फोटो निर्वाचक नामावली को अद्यतन करने हेतु डोर–टू–डोर सर्वे कराने के संबंध में ।

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रतिवर्ष फोटो निर्वाचक नामावलियों के अद्यतन का कार्य कराया जाता है। जनसंख्या के मान से मध्यप्रदेश राज्य में 1.1.2012 की अर्हता तिथि के आधार पर 5 जनवरी 2012 को प्रकाशित सूची में 25.49 लाख नवीन मतदाताओं को फोटो निर्वाचक नामावली में पंजीकृत किया गया 4.50 लाख नये नाम जोडने के आवेदन , 40894 आपत्तियां , 158238 संशोधन के आवेदन तथा 1244 स्थानान्तरण के आवेदन तथा 1 आवेदन अप्रवासी भारतीय का प्राप्त हुआ है। वर्ष 2011 में इलेक्टर पापुलेशन रेशो 54.06 से बढकर 55.76 हो गया है। जिसे 61 प्रतिशत तक किया जाना है। इस प्रकार वर्ष 2013 के लिये लगभग 50 लाख मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में जोडने का लक्ष्य रखा गया है। उपरोक्त वृहद कार्य को दृष्टिगत रखते हुये निर्वाचक नामावली अद्यतन कराने हेतु विशेष अभियान के तहत 15 अप्रैल 2012 से डोर टू डोर सर्वे कराने हेतु भारत निर्वाचन आयोग को प्रस्ताव भेजा गया है। आयोग से शीघ्रातिशीघ्र अनुमति प्राप्त होने की संभावना है।

कृपया निम्न बिन्दुओं पर कार्यवाहियां प्रारम्भ की जावें :–

1. ई पी रेशों का विश्लेषण कर ऐसे पोलिंग स्टेशन को चिन्हिंकित करना जहां मतदाताओं का पंजीयन कम है ।
2. जेनडर रेशों अनुसार ऐसे मतदान केन्द्रों का चयन किया जाए जहां महिला मतदाताओं की संख्या कम है।
3. ऐसे मतदान केन्द्रों का चयन किया जाए जहां वरनेबल सेक्शन चिन्हांकित किये गये हो उनमें छूटे हुऐ मतदाताओं के नाम पंजीकरण की व्यवस्था की तैयारी की जावे।
4. विभिन्न विभागों जैसे उच्च शिक्षा विभाग,स्कूल शिक्षा विभाग,महिला एवं बाल विकास विभाग, आदिवासी कल्याण विभाग,श्रम विभाग, आदि की बैठक जिला/तहसील स्तर पर आयोजित करना ।
5. एन सी सी, एन एस एस स्काउट एवं गाईड ,एवं नेहरू युवा केन्द्र के अधिकारियों के साथ भी बैठक आयोजित करना ।
6. राजनैतिक दलों की बैठक आयोजित करना।
7. स्वीप प्लान 2013 को ओर अधिक बृहद बनाना ।
8. बी एल ओ जहां स्थानान्तरण हो चुके वहां नियुक्ति करना व यूजर आई.डी. बनवाना।

9. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की उपलब्धता। रिक्त स्थानों की पूर्ति हेतु कार्यवाही कराना व यूजर आई.डी. बनवाना। डिजिटल सिगनेचर जिनके नहीं हैं एन.आई.सी. से प्राप्त करना।

10. संबंधितों को विभिन्न प्रकार का प्रशिक्षण देना।

डोर टू डोर सर्वे के दौरान निम्न कार्य किये जावेगें :–

1. अर्हता तिथि 1.1.2012 की स्थिति में निरतंर अद्यतन प्रक्रिया के तहत छूटे हुए मतदाताओं का नाम पंजीयन ।

2. कंट्रोल टेबिल का अपडेशन। विशेष तौर पर सेक्शन सुधार एवं नये सेक्शनों का निर्माण।

3. जन्म मृत्यू पंजीयन रजिस्टर से मृत मतदाताओं के नाम निरसित करने की कार्यवाही हेतु तैयारी ।

4. मतदान केन्द्र के क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली कालोनियों /नये मकानों /अपार्टमेन्ट्स का सर्वे कर उनमें रहने वाले पात्र छूटे हुए मतदाताओं को निरंतर अद्यतन की प्रक्रिया के तहत शामिल करने की कार्यवाही ।

5.. नॉन फोटो एंट्री वाली प्रविष्टियों के फोटोग्राफ्स प्राप्त कर डाटाबेस में शामिल करने हेतु तैयारियां ।

6. सर्वे के दौरान मतदान केन्द्र के अंतर्गत आने वाले सभी मतदाताओं की वास्तविक जनसंख्या ज्ञात करने हेतु संबंधितों को ट्रेनिग देना ।

7. डीडुप्लीकेट सूची की जांच।

8. डाटा की विसंगतियों की जांच

9. 1.1.2013 की अर्हता तिथि के मान से पात्र नवीन मतदाताओं के आवेदन प्राप्त करना जिन्हें संक्षिप्त पुनरीक्षण 2013 के दावे/आपत्तियों के प्राप्त करते समय उनके उपलब्ध होने की जांच कर तत्पश्चात दावे/आपत्तियों की सूची में शामिल करने हेतु कार्यवाही करने हेतु तैयारी ।

कृपया डोर टू डोर सर्वे कराने हेतु आयोग के अनुमोदन की प्रत्याशा में उपरोक्त वर्णित कार्यवाहियां तत्काल प्रारम्भ की जावें ।

(मु.नि.प.द्वारा अनुमोदित)

(एस.एस. बंसल) 27.3.12
संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी
मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक 1/2012/3/ 2124 भोपाल, दिनांक 27-03-2012
प्रतिलिपि–संभागायुक्त समस्त , मध्यप्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(एस.एस. बंसल) 27.3.12
संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी
मध्यप्रदेश